18-8-2020	पत्रावली आज पेश हुई। श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही उपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (हंसराज जैन पुत्र झूमरमल, जाति– जैन, निवासी– कांठिया भवन, अम्बिका नगर कॉलोनी, आबूरोड़, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म गेलार्ड आईसक्रीम, सब्जी मण्डी, आबूरोड) उपस्थित। प्रतिवादी संख्या–2 (राजेन्द्र कुमार जेठवानी पुत्र रामचंद्र जेठवानी, निवासी– 28, सिंधी कॉलोनी, आबूरोड़, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म राजेन्द्र कुमार रामचन्द, रेल्वे स्टेशन रोड़, आबूरोड़, जिला– सिरोही) उपस्थित। प्रतिवादी संख्या–3 (विजकांत कोठारी पुत्र शांतिलाल कोठारी, निवासी– 11, कृषि मण्डी यार्ड, उदयपुर, मालिक एवं

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.11.06 13:29:02 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.17/2020
	खाद्यकारोबारकर्ता, फर्म श्री विनायक ट्रेडर्स, उदयपुर) उपस्थित। प्रतिवादी संख्या–4 (निर्माता फर्म Asha Coconut Industries, Keragadi Road, Gandinagar, Tiptur, Tumakuru, Karnataka के अधिकृत प्रतिनिधि) को नोटिस की तामिल होने के बावजूद अनुपस्थित। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या– 1 से 3 ने लिखित जवाब पेश कर अनुरोध किया कि दिनांक 26.5.2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने खाद्य पदार्थ आइसक्रीम का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच में मिसब्राण्ड पाया गया है। मिसब्राण्ड पाये जाने का कारण Best before को Small Letters में लेबल पर लिखा होना बताया है। यह कि हम प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को प्रतिवादी संख्या–4 की ओर से भी जवाब पेश करने हेतु हिदायत दी गई है। हम हमारी गलती स्वीकार करते है। भविष्य में मिसब्राण्ड सामग्री का विक्रय नही करेंगे। अतः कम से कम जुर्माना करके प्रकरण का आज ही निर्णय करावे। निर्माता फर्म पर कोई जुर्माना राशि बनती है तो हम अदा करने हेतु तैयार है। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा उक्तानुसार गलती स्वीकार कर लेने व प्रतिवादी संख्या–4 निर्माता फर्म की ओर से भी जवाब पेश करने की हिदायत होने से व निर्माता फर्म पर जुर्माना होने पर जुर्माना राशि अदा करने हेतु सहमति प्रदान करने से प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की बहस सुनी गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह व्यक्त किया कि प्रतिवादीगण ने मिथ्याछाप Super fine Desiccated coconut powder (Globe Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित किया जावे। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने उक्त जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए यह व्यक्त किया कि हमनें अपनी गलती स्वीकार कर ली है व भविष्य में ऐसी पुनरावर्ति नही होगी। निर्माता फर्म की ओर से जुर्माना राशि अदा करने हेतु तैयार है, इसलिये कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करावे। हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 26.5.2019 को प्रतिवादी संख्या–1 की फर्म गेलॉर्ड आइसक्रीम, सब्जी मण्डी, आबूरोड़, जिला– सिरोही में प्रतिवादी संख्या–1 से खाद्य पदार्थ Super fine Desiccated coconut powder (Globe Brand) के 4 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक एक किलोग्राम) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह के समक्ष कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए उक्त खाद्य पदार्थ Super fine Desiccated coconut powder (Globe Brand) के नमूनें को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की ज़ांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./435/Act/2019/480 दिनांक 04.6.2019

........लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.11.06 13:29:02 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.17/2020**

के अनुसार मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ Super fine Desiccated coconut powder (Globe Brand) के पैक्ड पैकेट लेबल पर best before को Small letters में अंकित होने से मिथ्याछाप माना है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उक्त मिथ्या छाप खाद्य पदार्थ Super fine Desiccated coconut powder (Globe Brand) की निर्माता फर्म Asha Coconut Industries है एवं उक्त खाद्य पदार्थ का उक्त निर्माता फर्म द्वारा ही निर्माण पैकिंग व विक्रय किया गया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। इस प्रकार, मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ Super fine Desiccated coconut powder (Globe Brand) के निर्माण, पैकिंग एवं विक्रय हेतु मुख्य रुप से निर्माता फर्म Asha Coconut Industries ही दोषी एवं उत्तरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 80 के तहत प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को दोषमुक्त किया जाकर उक्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत खाद्य पदार्थ Super fine Desiccated coconut powder (Globe Brand) की निर्माता फर्म Asha Coconut Industries, Keragadi Road, Gandinagar, Tiptur, Tumakuru, Karnataka पर राशि रुपये 10,000/– (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या– 1 से 3 को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। माफिक निर्णय प्रतिवादी विनयकांत कोठारी ने उक्त आरोपित जुर्माना राशि रुपये 10,000/– (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) का बैंक ऑफ बडौदा द्वारा जारी डी.डी. नंबर 674811 दिनांक 18.8.2020 का इस न्यायालय में पेश किया है। अतः उक्त डी.डी. की राशि जरिये चालान राजकोष में जमा करवाकर पत्रावली दाखि दफतर हो।

(गितेश श्री मालवीया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.11.06 13:29:02 IST
Reason: SelfAttested